EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 3173—3174

Dated 28-6-2008

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2008

का.आ. 1519.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण तथा मानीटरिंग) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण तथा मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण तथा मानीटरिंग) नियम, 1995 के नियम 16.2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"16.2. प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.20 % की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा ।"

टिप्पण : निर्यातक द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में है, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम हो तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

[फा. सं. 2/38/2007-ईआई एंड ईपी(V)]

किरण पुरी, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग -II, खंड-3, उपखंड-(ii)में तारीख 21अगस्त, 1995 में अधिसूचना सं. का.आ. 730(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सं. का.आ. 415(अ) तारीख 11-4-2002, सं. का.आ. 1029(अ) तारीख 24-9-2002, सं. का.आ. 1034(अ)तारीख 9-9-2003, सं. का.आ.717(अ) तारीख 25-2-2000 तथा सं. का.आ. 612 तारीख 15-2-2007 द्वारा संशोधित किए गए ।

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2008

S.O. 1519.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rule, 1995, for rule 16.2, the following rule shall be substituted, namely:—

" 16.2 A monitoring fee @ 0.20% of free on board (F.O B.) value shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.15 lakhs per annum per exporter or processor.

Note: The amount of monitoring fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 2/38/2007-EI&EP(V)]

KIRAN PURI, Director

Foot Note : The Principal rules were published *vide* S.O. 730 (E) dated 21st August, 1995 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary dated 21st August, 1995 and subsequently amended by S.O. 415(E) dated 11-4-2002, S.O.1029 (E) dated 24-9-2002, S.O. 1034(E) dated 9-9-2003, S.O. 717 (E) dated 25-2-2005 and S.O.612 dated 15-2-2007.

MGIPRRND—2457 Commerce/2008—100 Copies